न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2023/302

1 प्रभाती देवी पत्नी बाबूलाल
2 मोहनलाल पुत्र बाबूलाल
3 सन्तोष देवी पुत्री बाबूलाल
4 शंकरी देवी पुत्री बाबूलाल
5 कमला देवी पुत्री बाबूलाल
6 राजपाल पुत्र बाबूलाल समस्त जाति मीणा, निवासी सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अपीलान्टस

बनाम

1 प्रभु पुत्र लक्ष्मण दत्तक पुत्र लादू
2 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल
3 रामेश्वर पुत्र प्रभूलाल
4. रामशरण पुत्र प्रभूलाल
5 सुरजनारायण पुत्र प्रभूलाल
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभूलाल, समस्त जाति मीणा, निवासी मोणावतों की ढाणी, सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला– जयपुर ।
7 मैसर्स कल्याण रीयल्टी लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 10, जमनादास बिल्डिंग अपोजिट शापुरकी पालना जी बंगले बालकेश्वर रोड मुम्बई जर्ये डायरेक्टर
   1. भूपेन्द्र कुमार जैन
   2 जीतेन्द्र कुमार जैन निवासी डी – 25, लाल बहादुर नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
8 जयपुर विकास प्राधिकरण जर्ये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
9 जयपुर विकास प्राधिकरण जर्ये तहसीलदार जी जयपुर ।
10 सरकार जर्ये तहसीलदार जी सांगानेर, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 90 बी (7) राज० ले० रे० एक्ट विरूद्ध आज्ञा प्राधिकृत अधिकारी जोन बी 4 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर दिनांक 1/5/2002

उपस्थित–
1. श्री श्याम बाबू पारीक वकील अपीलांट
2. श्री भगवान सहाय शर्मा वकील रेस्पो० 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (7) के अन्तर्गत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी–4 ,जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 01.05.2002 के खिलाफ गियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन डी-4 जयपुर विकास प्राधिकरण के उक्त निर्णय दिनांक 01.05.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अधीनस्थ आदेश प्राधिकृत अधिकारी जोन डी-4 जयपुर विकास प्राधिकरण दिनांक 01.05.2002 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स को तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर में आराजी खसरा नम्बर 472, 473 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 474 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 953 रकबा 0.86 है0 956 रकबा 0.01 है0, 952 रकबा 0.83 है0 787 रकबा 0.93 है0 स्थित हैं। उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार टोडिया पुत्र मोती जाति मीणा थे। यह कि खसरा नम्बर 472 व 473 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा को अपीलांट्स के पूर्वज टोडिया पुत्र मोती ने भोरिया पुत्र लालग्या को विक्रय कर दिया व शेष भूमि खसरा नम्बर 474, 475 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 0.93 है पर अपीलान्टान काबिज काश्त हैं व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। खसरा नम्बर 474 व 475 के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता लादू व लक्ष्मण का नाम भू-प्रबन्ध विभाग अंकित कर दिया। खसरा नम्बर 472 व 473 में अपीलान्टान् के पूर्वजों का नाम यथावत रखा। उक्त लादू व लक्ष्मण के स्वर्गवास के पश्चात् भूमि खसरा नं 474 व 475 जिसके हाल खसरा नम्बर 952 व 787 रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 ने अपना नाम अंकित करवा लिया उसके पश्चात् उक्त भूमि में 0.19 है0 को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अवाप्त कर ली गई। जिसका खसरा नम्बर 952/1 व शेष भूमि खसरा नम्बर 952 का 952/2 रकबा 0.64 है0 से से 0.03 है0 हवाई अड्डा विस्तार हेतु अवाप्त कर ली व शेष भूमि 952/2 रकबा 0.61 है0 व खसरा नम्बर 787 रकबा 0.93 है0 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 ने रेस्पोडेन्ट जयपुर विकास प्राधिकरण का नाम अंकित करवा दिया।

अपीलांट ने कथन किया कि विवादित भूमि के कब्जे काश्त से रेस्पोडेन्ट का कभी कोई सम्बन्ध न था न है। भूमि के चारों ओर अपीलान्टान् की बाउन्ड्रीवाल बनी है व गेट लगा हुआ है। यही नहीं सम्वत् 2008 से सम्वत 2034 तक का राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पूर्वाधिकार टोडिया पुत्र मोती का नाम अंकित है एवं 2015 से 2034 की खतौनी बन्दोबस्त में भी उक्त टोडिया पुत्र मोती की खुद काश्त दर्ज है लेकिन उसके बाद के बन्दोबस्त में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना कोई आज्ञा बिना कोई विक्रय पत्र या पंजीकृत दस्तावेज के प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दी जो प्रार्थीगण के अधिकार के विरुद्ध प्रारम्भ से ही अवैध क्षेत्राधिकार बाहर, शून्य एवं बेअसर है। उक्त इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीयान ने विवादित भूमि का जैन पुत्र भवरलाल जैन को दिनांक 13/11/2000 ई0 को श्री राजेन्द्र कुमार मुख्त्यारनामा आम पंजीकृत करवाया गया। राजेन्द्र कुमार जी जैन ने 14/11/2000 ई0 को ही जरिये इकरारनामा 1/3 भाग का बाबत विक्रय कर सम्पूर्ण भू का कब्जा सौंपने की बात कहते हुए कर दिया व सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने का उल्लेख किया गया ऐसी स्थिति में तथाकथित इकरारनामा सरासर धारा 42 रा0 टी0 एक्ट के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही कानून विरुद्ध है व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। कुल भूमि 1.57 है0 है व उसमें 1/3 भाग अर्थात् .52 है0 भूमि का इकरारनामा है उक्त इकरारनामें व मुख्त्यारनामें में कहीं भी विवादित भूमि की चतुर्सीमाएं नहीं हैं। व 4/12/1999 की अधिसूचना में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि

विभागीय आयुक्त
जयपुर

राज्य सरकार में भूमि निहित होते ही यह भूमि अनुसूचित जाति जनजाति की नही रहती हैं। दिनांक 13/11/2000 को मुख्त्यानामा दिया जाता है 14/11/2000 को इकरारनामा हो जाता है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा ग्रामर्पण हो ही नहीं सकती है न उन्हें 8/3/2002 को अधिकार थे न अधिनस्थ न्यायालय को 1/5/2002 को अधिकार थे न अधिनस्थ न्यायालय को 1/5/2000 को आदेश करने के अधिकार थे न किसी भी अधिकारी जी द्वारा कोई मौका देखा गया तथाकथित मुख्त्यारामें व इकारनामे बाबत विक्रय में कौनसा 1/3 भाग है का कहीं भी कोई जिक्र नही है तो कौन 1/3 भाग अधिग्रहण किया गया कही उल्लेख न होने से भी निर्णय निरस्तनीय हैं। इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जो रेस्पोडेन्ट 16 के हक में किये गये वे क्षेत्राधिकार बाहर के थे कि जिसकी कोई जांच न कर आदेश देने में भूल की हैं। विवादित भूमि पर अपीलान्ट काबिज है उन्होने भूमि के वारों और डंडा बना रखा है व गेट लगा हुआ है ऐसी स्थिति मे भूमि पर कोई क ना तो रेस्पोडेन्ट 1 से 6 का था न कोई कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का हुआ न रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 का कोई कब्जा हुआ केवल मात्र रेस्पोन्ट संख्या 1 से 6 के समर्थन के आधार पर कब्जा माना जा सकता कि जि पहलू पर भी कोई विचार न कर निर्णय देने मे अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जी ने गम्भीर कानूनी भूल की हैं। अपीलान्ट 1 व 2 ने अपने खातेदारी अधिकारो का दावा भी सक्षम अदालत उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के प्रस्तुत कर रखा है ऐसी स्थिति में भी निर्णय प्राधिकृत अधिकारी निरस्तनीय हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की भूमि पर कोई अधिकार स्वर्ण जाति के व्यक्तियों की नहीं दिये जा सकते है व धारा 42 बी के प्रावधान स्पष्ट है ऐसी स्थिति में भी निर्णय अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी निरस्तनीय हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना धारा 42 बी के प्रावधानों पर गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-4, जयपुर विकास प्राधिकरण के उक्त निर्णय दिनांक 01.05.2002 को निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट प्रकरण में अजनबी व्यक्ति है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था, अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने की इजाजत (leave to file appeal) योग्य है । अपीलान्ट प्रश्नाधीन भूमि गत खसरा नम्बर 474 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 952 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.93 हैक्टेयर स्थित ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है, उक्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकारो ने अपने हिस्से की भूमि को, धारा 90 (बी) 3 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजन हेतु अनुज्ञा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन बी-4 से करवाया है उक्त भूमि से अपीलान्ट का किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना, हक, स्वत्व व अधिकार नही हैं। अपीलान्ट उक्त भूमि का सह-कृषक का वारिस या कब्जा धारी या केता, दानग्रहिता वसीयतधारी नही है। प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-4 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 अन्तर्गत धारा 90 (बी) 3 बाबत संपरिवर्तन अपीलान्ट के विरुद्ध पारित नही किया गया है। प्रश्नाधीन आदेश आदेश अपीलान्ट पर "रेसज्युडीकेटा" का प्रभाव भी नही रखता है, उक्त परिस्थितियो में अपीलान्ट कानून की निगाह में 'एग्रीव्ड पक्षकार नही हैं, अपीलान्ट प्रकरण में

प्रभावित व्यक्ति या पक्षकार भी नही है। कानून मात्र एग्रीव्ड पक्षकार को ही अपील प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार है। प्रश्नाधीन भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 34 में अंकित आराजी का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार कराई प्रार्थीगण या उनका पूर्वज नही है तथा उक्त भूमि के बावत धारा 90 बी (3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन उपयोग हेतु नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अपीलान्ट न तो एग्रीव्ड पक्षकार है और न ही उसके हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का 'लोकस स्टेन्डी' है । अपीलान्ट को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वामित्व व खातेदारी अधिकार प्राप्त नही है । इसलिए उसे अपील प्रस्तुत करने का निहित अधिकार नही है । अपील अपीलान्ट मैन्टेनेबल नही होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है । अपीलान्ट ने हस्तगत अपील बिना वैध अधिकारों के महज रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने व उनसे अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के हक में सक्षम न्यायालय से भी कोई खातेदारी की घोषणा आज तक नही की गई हैं। अपीलान्ट या उसके पूर्वजों का नाम प्रश्नाधीन भूमि में बतौर खातेदार दर्ज नही हैं, प्रश्नाधीन भूमि से अपीलान्ट का सम्बन्ध है या नही, यह भी आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा तय नही हुआ है तथा बिना अपना हक व अधिकार तय करवाये अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र खारिज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अत न्यायहित में नकल दिनांक 23.06.2023 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी पी सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाके ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर में आराजी खसरा नम्बर 472, 473 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 474 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 953 रकबा 0.86 है0 956 रकबा 0.01 है0, 952 रकबा 0.83 है0 787 रकबा 0.93 है0 स्थित हैं । उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार टोडिया पुत्र गोती जाति मीणा थे। भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 474 व 475 के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता लादू व लक्ष्मण का नाम अंकित किया गया एवं उक्त लादू व लक्ष्मण के स्वर्गवास के पश्चात् भूमि खसरा नं. 474 व 475 जिसके हाल खसरा नम्बर 952 व 787 रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 ने अपना नाम अंकित करवा लिया। खसरा नं. 952 व 787 कुल रकबा 1.57 है0 के हिस्सा 2/3 जरिये इकरारनामा दिनांक 14.11.2000 श्री कल्याण टाउनशिप डवलपर्स श्री अमर ज्योति जोधा व श्री अभय जोधा को विक्रय किया गया एवं 1/3 हिस्सा मैसर्स कल्याण रीयल्टी लिमिटेड के डायरेक्टर श्री भूपेन्द्र कुमार जैन व श्री जितेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में किया गया। श्री राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी–4 ,जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष खसरा नं. 952 व 787

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कुल रकबा 1.57 है0 के हिस्सा 1/3 के पुनः आवंटन किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर खसरा नं. 787 रकबा 0.93 है0 एवं खसरा नं 952 रकबा 0.64 है0 के हिस्सा 1/3 भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर इसे राज्य हित में पुनर्ग्रहित कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामा0 तस्दीक किये जाने एवं तत्पश्चात् उक्त भूमि का पुनः आवंटन मैसर्स कल्याण रीयल्टी लिमिटेड के डॉइरेक्टर श्री भूपेन्द्र कुमार जैन व श्री जितेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार अनुसूचित जनजाति से हैं एवं उक्त विवादग्रस्त भूमि जरिये समर्पणनामा/इकरारनामा दिनांक 14.11.2000 को स्वर्ण जाति के व्यक्ति श्री मैसर्स कल्याण रीयल्टी लिमिटेड के डारेक्टर श्री भूपेन्द्र कुमार जैन व श्री जितेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में जरिये इकरारनामा विक्रय किया गया है। जो कि **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) का स्पष्ट रूप से उल्लंखन है।** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) के प्रावधानों के अनुसार किसी अनुसूचित जाति व जनजाति की भूमि का क्रय या विक्रय किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति की भूमि में तथाकथित पट्टे प्रारम्भ से ही अवैध हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) के प्रावधान लागू नहीं होने की टिप्पणी अंकित करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है तथा उक्त भूमि का बेचान अरजिस्ट्रर्ड इकरारनामें के आधार पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को किया गया है। अप्रार्थीगण का मूल आधार जरिये अनरजिस्ट्रर्ड इकरारनामें के आधार पर उक्त अपीलाधीन विवादग्रस्त भूमि को क्रय किये जाने को लेकर है। अरजिस्ट्रर्ड इकरारनामे के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–

1- <u>AIR 2009 SUPREME COURT 1489</u>

<u>Stamp Act (2 of 1899) , Sec. 35</u>— Document not duly stamped - Effect - Unregistered Deed of sale - Adequate stamp duty not paid thereon - Not admissible in evidence in terms of S. 35 - Said document would not also be admissible for collateral purpose - Impounding of said document - Was proper.

2- <u>2019(1) RRT 332 SC</u>— Shankar v/s surendra singh- Unregistered Document do not confer any right or Title.

ऐसी स्थिति में अनरजिस्ट्रर्ड इकरारनामें के आधार पर अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ना ही किसी के अधिकार हस्तान्तरित किये जा सकते हैं।

पक्षकारान् के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जयपुर के समक्ष नियमित वाद संख्या 259/2022 बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती का अंतर्गत धारा 88, 188 वाद विचाराधीन है। जिसके अतर्गत पक्षकारान् के अधिकार तय होने हैं एवं इसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जानी है एवं इसी वाद में तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.04.2023 के अनुसार खसरा नं. 787, 952/2 पर अपीलार्थी की मौके पर गेहूं की फसल खडी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी जोन बी–4 ,जयपुर विकास प्राधिकरण का अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 28 / 2002 दिनांक 01.05.2002 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी–4 ,जयपुर विकास प्राधिकरण का अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 28 / 2002 दिनांक 01.05.2002 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त
जयपुर